

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(3) राज/वाद/18, पार्ट

जयपुर दिनांक 14-07-2025

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.25 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से केविएट तैयार कर, दायर किये जाने की एकमुश्त फीस 1400/-रुपये का संबंधित विधि अधिकारियों को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त विभागीय आदेश दिनांक 09.07.25 के अनुसरण में केविएट तैयार कर दायर किये जाने की एकमुश्त फीस का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमन्त्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
6. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण/सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

Document certified by SURESH CHAND
BANSAL <SCPRIYABANSAL@GMAIL.COM>

Digitally Signed by SURESH
CHAND BANSAL
Designation: Secretary
Date :14-07-2025 06:37:43

RajKaj Ref No.:
16532834
eSign DSC